यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.09.2020 से 19.09.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2019 से 13.05.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः भूमि संरक्षण सम्बन्धित कार्य, कालसी प्रभाग

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2017-18	1664.26
2018-19	1899.44
2019-20	2653.45

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	817.01	697.95	303.09	275.02	-	119.06	28.07
2018-19	820.88	820.87	280.82	262.12	-	0.00	18.70
2019-20	118.36	117.54	631.20	604.53	-	0.82	26.67

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय (+)**	**बचत (-)**
2019-20	इन्टोन्सेफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	-	9.44	9.44	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकार

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 02/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर - 1 : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशो की गलत व्याख्या किए जाने से राजस्व हानि ₹25.99 लाख।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : यथासमय कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.27 लाख प्राप्त नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 2 : निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी न किये जाने से राजस्व हानि ₹1.93 लाख।

STAN

प्रस्तर- 1 : जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना रू 0.74 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1 : वन जमा में ₹25.58 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होना।

गम्भीर अनियमितताएं
व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : श्रमिक उपकर ₹1.49 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 2 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 7.92 लाख।

भाग- II(अ)

प्रस्तर - 1 : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशो की गलत व्याख्या किए जाने से राजस्व हानि ₹25.99 लाख।

Ministry of Environment and Forest, Government of India के पत्र दिनांक 29.03.2005 में Notified forest में Disposal of the trees standing on the forest land diverted for non forestry use under the Forest (conservation) Act 1980 के विषय में clarification दिया गया था कि "Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department and further clarification dated 11/12/2008 द्वारा कहा गया था कि the User/Project implementing Agencies are not required to pay the cost of trees to the State Forest Departments but are required to make payment toward cutting, felling, logging and transportation charges of project affected trees to the State Forest Departments in addition to Compensatory Afforestation (CA) and Net Present Value (NPV).

प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विकास कार्यों से संबन्धित लौटों के सापेक्ष ₹25,98,952 की रॉयल्टी कार्यालय को वन विकास निगम से प्राप्त नहीं हुई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार था :

क्रम संख्या	वर्ष	लौट की संख्या	अप्राप्य धनराशि
1.	2016-17	शून्य	-
2.	2017-18	5	14,50,389=
3.	2018-19	शून्य	-
4.	2019-20	4	11,48,563=
कुल		9	25,98,952=

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट कर दिया गया कि Timber shall be disposed of by the State Forest Department in the manner as deemed fit by it and the sale proceeds shall also accrue to the department परन्तु निगम से विकास कार्यों के लिए आवंटित वन भूमि पर किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी राशि की मांग न करने एवं भारत सरकार के आदेशों की गलत व्याख्या किए जाने से विभाग को ₹25.99 लाख के राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने अपनें उत्तर में बताया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेशों में कहा गया था कि विकास कार्य के लिए आवंटित वन भूमि पर उगे वृक्षों के लिए आवंटन प्राप्त विभाग अलग से वृक्षों का मूल्य नहीं देगा से आशय था कि वृक्षों का मूल्य विकास कार्य करने वाले विभाग से नहीं बल्कि वृक्षों की बिक्री से प्राप्त की जाएगी जो वन विभाग की प्राप्ति होगी। अत: आदेशों की गलत व्याख्या किए जाने से ₹25.99 लाख राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 : यथासमय कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.27 लाख का राजस्व प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग की लेखा परीक्षा के दौरान सी-1 से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विभिन्न प्रजाति के कुल 115.6612 घन मीटर के प्रकाष्ठ निम्नानुसार अवशेष था जिसका निस्तारण नहीं किया गया था।

वर्ष	**प्रकाष्ठ की आयतन (घ.मी)**	**रॉयल्टी दर पर कुल मूल्य**
2019-20	15.2380	289525.00
2019-20	33.9986	512800.00
2019-20	47.7300	758902.00
2018-19	18.6910	465329.73
	115.6576	2026556.73

विभागीय गणनानुसार प्रकाष्ठ की कुल रायल्टी ₹20,26,557/- थी। सी-1 में प्रविष्ठि की गई- प्रकाष्ठ हौपलो वाली पातित पेड़ो के प्रकाष्ठ सम्मिलित रहता है। प्रकाष्ठ कब से अनिस्तारित था, अभिलेखों में कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। यथासमय अनिस्तारित/ शेष प्रकाष्ठों की निस्तारण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹.20.27 लाख राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकाष्ठ खुले में पड़े रहने के कारण धूप वर्षा आदि के कारण सड़-गल रहा है, जिस वजह से प्रकाष्ठ की गुणवत्ता में कमी आएगी। गुणवत्ता में कमी आएगी तो प्रकाष्ठों की कीमत भी कम हो जाएगी। विभाग के द्वारा प्रकाष्ठों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई पत्राचार वन विकास निगम से नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि " लौट वन निगम को आवंटित है वन निगम द्वारा नीलामी के पश्चात धनराशि जमा की जाती है"। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रकाष्ठों की निस्तारणार्थ कोई यथोचित कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकाष्ठ की लौटे रेंजों में खुले में पड़ी है और खुले में होंने के कारण दिन प्रतिदिन प्रकाष्ठों की मूल्यह्रास होना स्वाभाविक है।

अतः यथासमय कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.27 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-2 : निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी न किये जाने से राजस्व हानि ₹1.93 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग, कालसी भूमि संरक्षण के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाहन बुलेरों/UA-07-Q-2494 मॉडल 2006 को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की गयी और वाहन का मूल्यांकन हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पत्रांक संख्या 1866 /5-1 कालसी दिनांक 09-04-2018 के द्वारा उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ढकरानी, देहरादून को प्रेषित किया गया था। पत्र के अनुपालन मे दिनांक 05-03-2019 को सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रा) विकासनगर (उत्तराखण्ड) ने अपनी रिपोर्ट में वाहन की भौतिक दशा एवं मानकों के अनुसार वाहन का बाजारी मूल्य ₹1,92,500/- (एक लाख बयानबे हजार पाँच सौ रूपये) आँका था। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नहीं की गयी है जिसके कारण वाहन के मूल्य में निरन्तर ह्रास हो रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये बताया कि यथाशीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उपलेखन हेतु पत्राचार मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से किया गया है। आदेश प्राप्ति पर नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

अत: निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी न किये जाने के कारण ₹1.93 लाख की राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 : जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना रू 0.74 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी (देहरादून) के जमानत जमा पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा निर्धारित/अवशेष जमानत जमा धनराशि ₹74,000/- (संलग्नक विवरण) जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपनें उत्तर में बताया कि यथाशीध्र अवशेष जमानत जमा करा दी जायेगी। इस प्रकार जमानत जमा धनराशि ₹0.74 लाख नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर- 1 : वन जमा में रु. 25.58 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होना।

वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड 7, वन लेखा नियमावली के नियम 198 के अनुसार वन सम्बन्धी जमा धनराशियों से संबन्धित लेन-देन का अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में प्रपत्र सं. 23 की पंजिका में रखा जाना चाहिए। पंजिका में मास प्रति मास प्राप्ति और समायोजनों के ब्योरे तथा इतिशेष दिखाये जाने चाहिये। इस प्रभागीय लेखे को महालेखाकार को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिमास भरा जाना चाहिये।

उत्तराखंड शासनादेश संख्या -3102/1.व.ग्रा.वि./2001-11(15)/2001 वन एवं पर्यावरण अनुभाग दिनांक 25 जुलाई, 2001 के अनुसार प्रदेश के वन विभाग द्वारा साल वनों के क्षेत्र में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (A.N.R.) कार्यक्रम को सेल्फ सस्टेनेबुल बनाने तथा इस हेतु निधि की स्थापना के संबंध में जारी किए गए आदेशानुसार साल (A.N.R.) क्षेत्रों के लिए अलग से छपान सूची तैयार की जाएगी तथा प्रजातिवार प्रकाष्ठ का आयतन व रायल्टी की गणना की जाएगी। कुल आगणित रायल्टी के दो चालान संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बनाए जाएंगे। एक चालान रायल्टी के 1/3 भाग हेतु वन जमा के लिए होगा तथा 2/3 भाग वन लेखा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत चालान द्वारा जमा किया जाएगा। वन जमा में जमा की गई धनराशि के लिए रजिस्टर अलग से रखा जाय, इसका रख रखाव वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 के अनुसार किया जाय।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रभाग के द्वारा अलग से कोई पंजिका नहीं बनाई गई अर्थात सभी वन जमा हेतु एक ही पंजिका का अनुरक्षण किया गया। वन जमा पंजिका के अनुसार 31 मार्च, 2020 को कुल ₹41,51,237/- अवशेष था। वन जमा पंजिका में ए.एन.आर. मद में ₹18,74,961 अवशेष है। ट्रेजरी के लेखानुसार 31 मार्च, 2020 को ₹15,93,627/- ही अवशेष है (16 सितम्बर 2020 को ट्रेजरी साइट से निकाली गई लेखा विवरण)। इस प्रकार ट्रेजरी के अवशेष और वन जमा पंजिका में अवशेष धनराशि में ₹2557610/- (4151237-1593627) का अंतर है। अर्थात वन जमा पंजिका के अवशेष के सापेक्ष ट्रेजरी में ₹25,57,610/- कम अवशेष है। उल्लिखित नियमानुसार मासिक समाधान विवरण तैयार कर प्रभाग द्वारा वन जमा की जांच नहीं की गई थी, जिस कारण अंतर के कारणों का समाधान नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि “जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाएगी”। विभाग के उत्तर

से स्पष्ट है कि अंतरीय धनराशि का समाधान लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया जा सका, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

अतः वन जमा ₹25.58 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नही होने का प्रकरण शासन के संज्ञा में लाया जाता है?

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 : श्रमिक उपकर ₹1.49 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिसूचना उत्तराखंड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या-474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 देहारादून, दिनांक 17 मई, 2012 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 एवं 5 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकार नियमावली, 1998 के नियम-2 के खंड (च) एवं (छ) तथा नियम 4, 5 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिन कार्यो में दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों, निर्मित कराये जाने वाले समस्त भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों जिनमे दस लाख रुपये से अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायसी आवास भी सम्मिलित हैं, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम,1996 के अधीन उपकर लिया जाएगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग में किए गए/ करवाए गए निर्माण कार्यों की प्राक्कलन में कार्यमदों की गणना उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की दर सूची एवं वन विभाग की दर सूची के अनुसार दर विश्लेषण कर प्राक्कलन तैयार कर कार्य संपादित किया गया था, परन्तु 1 प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती कर आयुक्त श्रम कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के पक्ष में जमा नहीं किया गया था। विभाग के द्वारा विगत 03 वर्षो में कुल ₹149.32 लाख (संलग्नक-1) का निर्माण कार्य कराया गया था। जिस पर ₹149320.00 (14932000x 1%) उपकर जमा किया जाना वांछित था। यथा समय उपकर की कटौती कर जमा नहीं किए जाने पर ब्याज और अर्थदण्ड का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि "प्रकरण को उच्चाधिकारियों संदर्भित करते हुये कार्यवाही की जाएगी तथा नियमानुसार प्राक्कलन में 1% लेबर सेस का प्रविधान किया जाएगा"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उल्लिखित शासनादेशानुसार वर्ष 2012 से ही श्रमिक उपकर की कटौती कर संबन्धित विभाग में जमा किया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा उपकर की कटौती नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

		विगत तीन वर्षों में कैम्पा निधि से किए गए कार्यों का विवरण		
क्र.सं.	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**ब्यय धनराशि (लाख में)**
1	2017-18	Stone/Concrete walling at Critical boundaries	3.00	3.00
		Repair of Bridle Path/ Forest Road	10.00	10.00
		वनीकरण अनुरक्षण 2 पोली हाउस	15.59	15.59
2	2018-19	Repair of Bridle Path/ Forest Road	14.49	14.49
		जलकुंड 420 घन मी.	12.50	12.50
		चाल खाल/ धारा नौला विकास जीर्णोद्वार	2.50	2.50
		चैक डैम निर्माण	3.74	3.74
		कन्टूर ट्रैंच	3.00	3.00
3	2019-20	Repair of Bridle Path/ Forest Road	10.00	10.00
		Renovation of Existing Building	6.00	6.00
		checkdam	2.50	2.50
		कुल ब्यय कैम्पा निधि से	**83.33**	**83.32**
		विगत तीन वर्षों में राज्य सेक्टर से किए गए कार्यों का विवरण		
4	2017-18	वन संचार पुल, टेलेफोन भवन	2.00	2.00
		वन मोटर मार्गो का सुदृढ़ीकरण	3.50	3.50
		वर्षा जल संरक्षण योजना	16.00	16.00
5	2018-19	वर्षा जल संरक्षण	6.20	6.20
		वन संचार पुल, टेलीफोन भवन	1.50	1.50
		वन मोटर मार्गो का सुदृढ़ीकरण	11.60	11.60
		आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	2.00	2.00
6	2019-20	वर्षा जल संरक्षण योजना	5.60	5.60
		भू क्षरण की रोकथाम	7.20	7.20
		आवासीय/ अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	3.50	3.50
		वन मोटर मार्गो का सुदृढ़ीकरण	4.90	4.90
		वन संचार पुल, टेलीफोन भवन	2.00	2.00
		कुल ब्यय राज्य सेक्टर से	**66.00**	**66.00**
		महायोग (83.33+66.00)		**149.32**

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 2 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय रू- 7.92 लाख।

विभाग मे प्रचलित पद्धतिके अनुसार किसी भी लैनटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योकि प्रथम वर्ष लैनटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि मे उपलब्ध लैनटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के सम्पर्क में रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं | जिनके उन्मूलन के पश्चात लैनटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है इसी कारण से विभाग द्वारा लैनटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता हैं|

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी (देहरादून) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभाग में लैनटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु तिमली राजि॰ में स्थल धर्मावाला-1बी, आदुवाला-2, धर्मावाला-9ए, आदुवाला-1 में 38.35 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर ₹5.92 लाख का व्यय किया गया। इन क्षेत्रों में द्वितीय वर्ष 2018-19 एवं तृतीय वर्ष 2019-20 में उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया। और वर्ष 2018-19 में तिमली राजि॰ में स्थल धर्मावाला-4ए, धर्मावाला-10 ए में 20.00 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर ₹2.00 लाख का व्यय किया गया, इन क्षेत्रो में द्वातीय वर्ष 2019-20 में उपचार हेतु कोई व्यय नहीं किया गया | जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष उपचार पर किये गये व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लैनटाना पुन: उगकर क्षेत्र कि पारिस्थिति को प्रभावित करेगा | अतएव प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के दौरान लैनटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरुप ₹7.92(5.92+2.00) लाख का निष्फल व्यय रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपनें उत्तर में अवगत कराया कि उक्त के सम्बन्ध में धनराशि न मिलने के कारण द्वितीय वर्ष का लैनटाना उन्मूलन कार्य नहीं कराया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा लैनटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु कार्य किये जाने पश्चात द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष उपचार न किये जाने से उक्त उदेश्य की पूर्ति नही हो सकी। जिससे 58.35(38.35+20.00) हेक्टेयर पर ₹7.92 लाख का व्यय निष्फल रहा।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-23/2018-19	01	01,02	-
RS/FR-60/2012-13	-	01	-
RS/FR-175/2015-16	01	-	-
RS/FR-48/2016-17	01	01,02	-
RS/FR-04/2019-20	-	01,03,04	02

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) जमा लेखों का उचित रखरखाव का अभाव

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री प्रकाश शर्मा,	प्र. वनाधिकारी (विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV